संख्या-3/2026/875/सात-न्याय-1-2026-81/2016-1422952

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ :: दिनांक 18 जून, 2026

विषय : मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ हेतु विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) का 01 नि:संवर्गीय (ex-cadre) पद सृजित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल/सिक्यूरिटी), मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-3473/2026, दिनांक 28.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में मा0 न्यायमूर्तिगण को कार्यावधि के दौरान Backache, Cervical-spondylitis, Joint Pains and other aliments जैसी समस्याओं के दृष्टिगत चिकित्सीय परीक्षण/फिजियोथेरेपी हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ हेतु बैचलर डिग्री (फिजियोथेरेपी) शैक्षिक अर्हता एवं 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) का 01 नि:संवर्गीय पद (वेतनमान रु0 47600-151100 (मैट्रिक्स लेवल-8), कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा पद भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2027 तक के लिए यदि उक्त पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही न समाप्त कर दिया जाय, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. किसी भी दशा में नि:संवर्गीय पद को स्थायी न किया जाए और न ही उस पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को स्थायी किया जाए, क्योंकि नि:संवर्गीय पदों का सृजन केवल कार्य विशेष के लिए किया जाता है और कार्य विशेष समाप्त होने के उपरान्त उक्त पद स्वत: समाप्त हो जायेगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नि:संवर्गीय पद को चालू रखने के लिए पद की आवश्यकता का औचित्य पाये जाने पर उसकी निरन्तरता सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिन के लिये सीमित रहेगी, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
3. उक्त पद धारक को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत वेतन, मंहगाई तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे ।

2- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक ''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय (भारित)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-12-85-X-2026-27, दिनांक 16.06.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह0/-**उदय प्रताप सिंह**
प्रमुख सचिव ।

संख्या-3/2026/875(1)/सात-न्याय-1-2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. वरिष्ठ निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ ।
3. निबंधक (अधिष्ठान), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
4. निबंधक (प्रोटोकाल/सिक्यूरिटी), मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. न्याय अनुभाग-9 (बजट) ।
9. चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. गाई फाईल/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

ह0/-मनमीत सिंह सूरी
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।